

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :-

ब्रह्मलाल जाट (आर०ए०एस०)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :-

59/2022 जीसीएनएस नं० 2022/57

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर राज०

.....आवेदक

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री काशीराम कुशवाल, मालिक/विकेता मैसर्स कुशवाह मिष्ठान भण्डार, मांगरोल रोड, मनियों जिला धौलपुर निवासी कमला का पुरा , हनौता चौकी मनियों ,जिला धौलपुर

.....अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 2 (v)/51,58
एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :-

आवेदक की ओर से
अभियुक्त की ओर से

:- श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
:- कुसुमकर गर्ग , एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 25.04.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.03.2022 को दोपहर 03.00 बजे मैसर्स कुशवाह मिष्ठान भण्डार, मांगरोल रोड, मनियों ,धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका नाम व पते पूछे , तो उसने अपना नाम श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री काशीराम कुशवाल, मालिक/विकेता मैसर्स कुशवाह मिष्ठान भण्डार, मांगरोल रोड, मनियों जिला धौलपुर निवासी कमला का पुरा , हनौता चौकी ,मनियों ,जिला धौलपुर बताया एवं उनसे फर्म की खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने हेतु कहा तो उन्होंने खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया ।

ॐ

-: राजस्थान सरकार:-
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एक्ट प्रकरण सं0 59 / 2022 सरकार बनगम रामेश्वर प्रसाद

(2)

निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे काउंटर में लगभग 8 किलोग्राम मावा मिठाई (बर्फी) सामान को विक्रय करने हेतु रखी थी। उक्त मावा मिठाई (बर्फी) में मिलावट का शक हुआ था। परिवादी ने उक्त मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना जॉंच देते हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता की उक्त मावा मिठाई (बर्फी) में से 2 किलोग्राम मावा मिठाई (बर्फी) को वास्ते जांच नमूना जॉंच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 320/- (तीन सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मावा मिठाई (बर्फी) को 04 खाली बोतलों में डालकर प्रत्येक बोतल में फॉर्मिलिन की 40-40 बूंदें डालकर एयर टाईट बंद कर दिया। 04 भाग नमूने भाग तैयार किये। पैकेटों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी-2379 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी-2379 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ कर सुनाकर, समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म VI की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या VI की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जॉंच रिपोर्ट एलएस/356/एक्ट/2022/356 दिनांक 16.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉंच विक्रय किया गया मावा मिठाई (बर्फी) अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया। उक्त केस में अवमानक (Sub-Standard) का विक्रय करके विक्रेता श्री दिनेश जैन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री काशीराम कुशवाल, मालिक/विक्रेता मैसर्स कुशवाह मिष्ठान भण्डार, मांगरोल रोड, मनियॉ जिला धौलपुर निवासी कमला का पुरा, हनौता चौकी, मनियॉ, जिला धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। साथ ही बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ बिक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना धारा 58 में वर्णित है। अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी के अभिभाष उपस्थित हुये। साथ ही अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जबाव पेश किया। जबाव में अंकित किया कि श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने नमूना राते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट

Dr.

—: राजस्थान सरकार—
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 59 / 2022 सरकार बनाम रामेश्वर प्रसाद



(3)
बनानी उस फर्द रिपोर्ट में प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना वर्णित नहीं किया है बल्कि नमूना को चार साफ सूखी व खाली शीशियों / जासों में बराबर-बराबर डालना अंकित है किन्तु जॉच रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर खाली शीशियाँ अथवा जार जॉच कर्ता ने प्राप्त ही नहीं किया। इस कारण उक्त जॉच रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। इस कारण प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कार्यवाही ज़ाप किये जाने योग्य है। जॉच रिपोर्ट के आधार पर लैब बालों ने जब नमूना को प्राप्त किया वह इस प्रकार था **sample is in a seald and intact wide mouth plastic bottle** प्राप्त किया। जबकि फर्द मौका रिपोर्ट में प्लास्टिक के जार अथवा प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना एवं सील्ड करना अंकित नहीं है। इस कारण भी जॉच रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस कारण प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ज़ॉप किए जाने योग्य है। मावा मिठाई (वर्फी) का नमूना किस बर्तन में लिया व उस नमूने को किस माध्यम से हिलाया मिलाया (होमीगीनियश) किया यह बात भी फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं है। होमीगीनियस वाली बात इस्तगासा में भी अंकित नहीं है। इस प्रकार श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने नमूना लेने की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की। इस कारण भी मानकों में भिन्नता आना अवश्यमभावी है। इस कारण भी सम्पूर्ण कार्यवाही कानून के कारण निरस्त करने योग्य है। श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने स्वयं अपने आपकों दिनांक 25.07.2011 को धौलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होना बताया है। किन्तु दिनांक 25.07.2011 को खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 के परन्तुक के अधीन नियुक्ति की दिनांक 25.07.2011 से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेषकृत ट्रेनिंग पूर्ण करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 25.07.2011 से 24.07.2013 तक श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने कोई विशेषकृत ट्रेनिंग पूरी की इस बावत कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस प्रकार श्री विश्वबन्धु गुप्ता दिनांक 04.03.2022 को की गयी सैम्पलिंग की कार्यवाही **nul and void** हो जाती है। इस कारण भी प्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही ज़ाप किये जाने योग्य है। धारा 43 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कौन-कौनसी प्रयोगशालाएं निरीक्षण करने के लिए मान्य होगी। इस बावत इन प्रयोगशालाओं का राज्य दर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यारित प्रयोग शालाओं की सूची राजस्थान राज्य के संदर्भ में जारी हुई। **public health laboratory bharatpur (rajasthan)** का नाम इस सूची में नहीं है। अर्थात् लैब **accretade lab** नहीं है। इस कारण सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार भी प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ज़ॉप किये जाने योग्य है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने कथनों में प्रस्तुत जबाव को दौहराते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मावा मिठाई (वर्फी) का सेंपल नमूना लेते समय मौक पर जो फर्द रिपोर्ट बनानी उस फर्द रिपोर्ट में प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना वर्णित नहीं

em

